डिस्कलेमर

आदेश संख्या 23/2023-24 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एमएबीपीएल/सी/बैंगलुरू/सीपी-III/2023-27

आदेश संख्या 23/ 2023-24

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मेनजीस एविएशन (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (एमएबीपीएल) के संबंध में कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(केआईए), बैंगलुरू में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 16 नवम्बर, 2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

अध्याय 9 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

एमएबीपीएल द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ निर्धारित करने संबंधी संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सार इस प्रकार है:

अध्याय संख्या	पैरा	प्राधिकरण के निर्णय	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.8.1**	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि एमएबीपीएल द्वारा केआईए, बैंगलुरू में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाएं **'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी'** है। तदनुसार प्राधिकरण स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए इसकी प्रथम नियंत्रण अवधि के संबंध में टैरिफ **"लाइट टच अप्रोच"** आधार पर निर्धारित करने का निर्णय लेता है।	12
अध्याय संख्या 3	**3.6.1**	प्राधिकरण एमएबीपीएल के लिए तालिका 7 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए के लिए कार्गो मात्रा को मानने का निर्णय लेता है।	21
अध्याय संख्या 4	**4.11.1**	प्राधिकरण तालिका 23 के अनुसार आरएबी में परिवर्धनों, मूल्यह्रास और औसत आरएबी को मानने का निर्णय लेता है।	40
अध्याय संख्या 5	**5.7.1**	प्राधिकरण एमएबीपीएल के लिए तालिका 32 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के संबंध में ओपेक्स पूर्वानुमान को मानने का निर्णय लेता है।	63
अध्याय संख्या 6	**6.5.1**	प्राधिकरण एएफएस से संबंधित कार्गो के संबंध में 30% न्यूनतर टीएसपी प्रभार मानने का निर्णय लेता है।	67
अध्याय संख्या 7	**7.7.1**	प्राधिकरण एमएबीपीएल के संबंध में तालिका 38 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर को मानने का निर्णय लेता है।	80
	7.7.2	प्राधिकरण एमएबीपीएल के संबंध में तालिका 40 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का निर्णय लेता है।	
	7.7.3	प्राधिकरण एमएबीपीएल के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए **संलग्लक-I** के अनुसार टैरिफ दर कार्ड को मानने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 8	**8.6.1**	प्राधिकरण स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए तालिका 48 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि से संबंधित अनुमानित राजस्व (टैरिफ वृद्धि के बाद) और लाभप्रदता विवरण को मानने का निर्णय लेता है।	95

अध्याय 10. आदेश

प्राधिकरण इसके समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) एमएबीपीएल द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग से संबंधित सेवाएं **'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी'** समझी जाती है। तदनुसार प्राधिकरण ने एमएबीपीएल के संबंध में कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ **'लाइट टच अप्रोच'** के अंतर्गत निर्धारित की है।

(ii) एमएबीपीएल को इसकी प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए 20.11.2023 से अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए **संलग्नक–I** के अनुसार संशोधित टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(iii) इसमें निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ है। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में सभी लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(v) मैसर्स एमएबीपीएल ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री वेंकट रेड्डी कुणम,
परियोजना प्रमुख – भारत,
मैसर्स मेनजीस एविएशन (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (एमएबीपीएल),
प्रशासनिक ब्लॉक, कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
बैंगलुरू, कर्नाटक-560300

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली –110 003

2. श्री हरि के. मरार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू- भारत- 560300